

मध्यप्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स: 0755-2660461, email: afrcmp@gmail.com, web site:
www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2020/ 901

दिनांक - 7/9/2020

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक,
समस्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त,
व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाएं,
मध्यप्रदेश।

विषय:- कोविड-19, (लॉकडाउन) अवधि में परिवहन/हॉस्टल शुल्क के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि कोविड-19, के कारण 23 मार्च 2020 से मध्यप्रदेश में स्थित समस्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा शिक्षण कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है। शिक्षण कार्य ऑनलाइन के माध्यम से अभ्यर्थियों को दिये जाने के कारण उनके द्वारा परिवहन/हॉस्टल सुविधा उपयोग में नहीं लाये जाने के स्थिति में संस्था द्वारा उपरोक्त संबंधित कोई भी शुल्क वसूला अथवा मांग की जाती है, तो संस्था पर नियमानुसार क्वेपिटेशन मानते हुए अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-9 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त जारी निर्देशों को संस्था अपने सूचना पटल पर आवश्यक रूप से चस्पा करें, तथा की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत करावें।

2

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2020/

दिनांक-

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय, भोपाल।

3. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

-सही-

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी